

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़



पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० : 63/16

अनवान :

राजस्थान सरकार जंरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

- सायल

बनाम

1. अजीतसिंह पुत्र मेहरचन्द कौम जाट साकिन गदरा।

- गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : परोकार राज नायब तहसीलदार भादरा : सायल

निर्णय


दिनांक : 20-12-17

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भनाई के खसरा सं० 256/1 की कुल 3.0740 है० भूमि वर्तमान में अजीतसिंह पुत्र मेहरचन्द कौम जाट साकिन गदरा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त कृषि भूमि को बिना रूपान्तरण करवाये अकृषि प्रयोजनार्थ ईन्ट भट्टा लगाकर उपयोग में लाया जा रहा है। इस प्रकार कृषि जोत के स्वरूप का परिवर्तन कर दिया गया है।

खसरा नं० 256/1 की कुल 3.0740 है० खातेदारी भूमि में खातेदार द्वारा कृषि के लिए दी गयी जोत की शर्तों का उल्लंघन करके ईन्ट भट्टा लगाकर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर दिया गया है, जो काबिले सिवायचक रकबा राज घोषित किया जाना चाहिए।

खातेदार द्वारा विधि विरुद्ध मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है और कृषि भूमि को अकृषि कार्य में बिना सरकार की स्वीकृति लिये उक्त कार्यवाही कर रहा है। उक्त कृषि भूमि काश्त के काम में नहीं ली जा रही है व मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जा रहा है। भूमि पर काबिज व्यक्ति द्वारा ईन्ट भट्टा लगाया जाकर कृषि के स्वरूप को नष्ट किया जा रहा है। अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तामील हो चुकी है। अप्रार्थी जबाब पेश नहीं करना चाहते।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद भूमि को अप्रार्थी ईट भट्टा लगाकर अकृषि कार्य के उपयोग में ले रहे हैं जिससे राज्य सरकार को अपूर्णिय राजस्व हानि उठानी पड़ रही है।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि कुल भूमि 3.0740 है0 है। दावा व प्रार्थना पत्र में कहीं भी अंकन नहीं है कि कितनी भूमि पर निर्माण है। तीन साल से भट्टा बंद है अतः वाद कारण नहीं। दावा में अंकन नहीं कि 1/50 हिस्सा से अधिक पर निर्माण है।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थी को जबाब हेतु समय दिया गया परन्तु अप्रार्थी ने कोई जबाब पेश नहीं किया। अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कृषि भूमि का स्वरूप बदला जाकर खुर्द बुर्द की जा रही है। अप्रार्थी द्वारा वादभूमि में निरन्तर अकृषि कार्य करने से भूमि का स्वरूप व प्रयोजन में बदलाव हो जाएगा, जिससे अपूरणीय क्षति की सम्भावना है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है तथा सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है व विधि के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही की स्वतन्त्रता प्रदान करते हुए अप्रार्थी को ताफैसला वाद इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह मूल वाद के निर्णय तक ग्राम भनाई के खसरा सं0 256/1 की कुल 3.0740 है0 भूमि को रहन बैय व दिगर तरीके से मुत्तकिल नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 20/12/12 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजकुमार कस्वा)

उपखण्डाधिकारी (आय) R.A.S.

उपखण्डाधिकारी (आय)

भादरा, जिला हनुमानगढ़